## <u>कार्यालय जनपद न्यायाधीश, इलाहाबाद।</u>

दिनांकः नवम्बर17 , 2017.

### ''नीलामी सूचना''

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय इलाहाबाद परिसर में अधिवक्ता चैम्बर 'ब्लाक–बी' एवं 'ब्लाक–सी' के निर्माण हेतु बार एसोशियेशन के सामने के स्थित पुराने जीर्ण–शीर्ण परित्यक्त भवन को तोडने एवं मलबा हटाने तथा मुख्तारखाना के अस्थायी शेड के मलबा हटाने के सम्बन्ध में **नीलामी कार्यवाही दिनांक 07/12/2017 अपरान्ह 4.30 बजे** विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. एक्ट के न्याय कक्ष में निर्धारित की जाती है।

इच्छुक व्यक्ति/संस्था नीलामी बोली में भाग लेने हेतु निर्धारित दिनांक 07/12/2017 को अपरान्ह 4.30 बजे विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. एक्ट के न्याय कक्ष में उपस्थित होवें। नीलामी की शर्तें केन्द्रीय नजारत से नीलामी तिथि से पूर्व किसी भी कार्य–दिवस में प्राप्त कर सकते हैं।

दिनांकः 17/11/2017

17/11/17
( प्रेम नाथ)
विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. एक्ट/
अध्यक्ष समिति, जनपद न्यायालय,
इलाहाबाद।

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु :–**

1– नोटिस बोर्ड , जनपद न्यायाधीश, इलाहाबाद।

2– नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी, इलाहाबाद।

3– नोटिस बोर्ड, नगर निगम, इलाहाबाद।

4– तहसीलदार, सदर, जनपद इलाहाबाद।

5– नोटिस बोर्ड , विकास भवन, इलाहाबाद।

6– इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद।

7– कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद एंव माननीय उच्च न्यायालय के वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु ।

8– दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण,इलाहाबाद को प्रकाशनार्थ प्रेषित।

**नीलामी की शर्तें :—**

1— बोली की न्यूनतम धनराशि रु0 1.00 लाख निर्धारित की जाती है।

2— इच्छुक व्यक्ति/संस्था प्रतिनिधि दिनांक 18 /11/2017 से दिनांक 06/12/2017 के मध्य किसी भी कार्यदिवस में केन्द्रीय नाजिर से सम्पर्क कर कार्यालय समय पर भवनों की लोकेशन देख सकते हैं।

3— जीर्ण–शीर्ण परित्यक्त भवन एवं अस्थायी शेड को तोडने एवं मलबा नीलामी कार्यवाही जहां है जैसा है की स्थिति के आधार पर की जायेगी।

4— इच्छुक बोलीदाता/ठेकेदार को बोली में भाग लेने हेतु इस कार्यालय में अपने पते के प्रमाण सहित रु0 100=00(रुपये एक सौ मात्र) की धनराशि निर्धारित नीलामी दिनांक से पूर्व जमा करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा अन्यथा वह बोली में भाग लेने के पात्र नही होंगे। रजिस्ट्रेशन की धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं होगी।

5— इच्छुक व्यक्ति/संस्था नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रतिभू धनराशि रु0 20000=00 (रुपये बीस हजार मात्र) केन्द्रीय नजारत में जमा करेंगें, जो असफल नीलामीदाता को तत्काल ही वापस कर दी जायेगी एवं सफल नीलामीदाता के सम्बन्ध में प्रतिभू राशि कुल स्वीकृत नीलामी राशि में समायोजित की जायेगी।

6— नीलामी बोली , जिसके पक्ष में स्वीकृत हो जायेगी, उसे एक सप्ताह के अन्दर अवशेष धनराशि का बैंक ड्राफ्ट इस कार्यालय में जमा करना होगा, जो जनपद न्यायाधीश, इलाहाबाद के नाम देय होगा अन्यथा की स्थिति में समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा नियमानुसार द्वितीय नीलामी बोली स्वीकार की कार्यवाही की जायेगी।

7— पुराने भवन को तोडने एवं मलबा हटाने का कार्य एक सप्ताह के अन्दर (दिसम्बर 2017 के अन्तिम सप्ताह के अर्न्तगत) पूर्ण किया जायेगा अन्यथा विलम्ब की स्थिति में कुल नीलामी राशि का 05% प्रतिदिवस की दर से वसूला जायेगा।

8— नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/संस्था नीलामी समिति द्वारा तत्समय जारी निर्देशों के पालन के लिए बाध्यकारी होगें एवं किसी भी विवाद की स्थिति में माननीय जनपद न्यायाधीश इलाहाबाद का निर्णय अन्तिम होगा।

17/11/17

दिनांक: 17 /11/2017

( प्रेम नाथ)
विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. एक्ट/
अध्यक्ष समिति, जनपद न्यायालय,
इलाहाबाद।